न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–71/13 वाद पत्र

उनवान

1–रूपा आत्मज रामा रेगर निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा जिला भीलवाड़ा
2–श्रीमान सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी महोदय, भू प्रबन्ध विभाग भीलवाडा जिला भीलवाडा
3–राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय

उपस्थित
1. हरीश टेलर–

अधिवक्ता वादीगण
दिनांक 29.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प खेमाणा में पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे साबिक आराजी संख्या 1110/1 रकबा 6 बीघा भूमि वादी को आवंटित होकर वादी के नाम गैर खातेदारी अधिकार मे दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण मे जमाबन्दी संवत 2042 से 2045 तक साथ प्रस्तुत है। उक्त आराजी मुझ वादी को पूर्व मे आवंटित हुई और वक्त आवंटन से वादी उक्त भूमि पर कांबिज होकर काश्त करता चला आ. रहा हूं और काश्त लाभ लेता आ रहा हूँ। उक्त भूमि को वादी ने कृषि योग्य बनाने के लिए लाखो रूपये एवं श्रम लगाया है और आबाद किया है। उक्त आवंटन साबिक नक्शे मे भी उक्त साबिक नम्बर की आराजी को नक्शे मे तरमीम किया जाकर मुझ वादी को कब्जा सिपुर्द किया गया था। वर्तमान मे उक्त भुमि पर वादी कृषि कर उसको होने वाली उपज से अपने परिवार की आजीविका चला रहा हूँ। मे वादी अनूसूचित जाति का व्यक्ति होकर मेरे पास आय का कोई अतिरिक्त स्त्रोत भी नही है। यही एक मात्र मुझ वादी की आय का स्त्रोत है। मै वादी और मेरा परिवार पूर्णतया इसी भूमि से होने वाली आय पर आश्रीत है। तहसील रायपुर का नवीन भू प्रबन्ध हुआ, जिसमें ग्राम खेमाणा का भी नवीन भू प्रबन्ध हुआ, जिसमे साबिक आराजी संख्या. 1110/1 रकबा 6 बीघा जो मुझ वादी के नाम गैर खातेदारी अधिकार से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज थी को बिना मुझ वादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये और बिना जांच पडताल किये ही छुटे हुए खातो की सूची मे शामील कर दिया गया। यह सूची जिनका मौके पर कब्जा नही था और जिसकी राजस्व रेकार्ड मे तरमीमात नही थी। उसके बाबत तैयार की गई थी। यह सूची तहसील रायपुर के आदेश क्रमांक : भू. अ./2001/110–11 दिनांक : 16.1.2012 के अनुसार तैयार का प्रतिवादी संख्या 2 को भिजवाई गई। इस सूची को बिना जांच किये ही झूंठी रिपोर्ट तैयार कर प्रतिवादी संख्या 2 को भेजी गई तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान उक्त साबिक आराजी संख्या 1110/1 रकबा 6 बीघा के नवीन नम्बर 2458 रकबा 1.30 है0 कायम कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ने बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये ही उक्त नवीन आराजी संख्या 2458 रकबा 1.30 है0 को बिलानाम दर्ज कर दिया, जिसको मै वादी पुनः अपने नाम राजस्व रेकार्ड मे खातेदारी हक से दर्ज करवाने का अधिकारी हूँ। प्रमाण मे छुटे हुए खातो की सूची की प्रमाणित प्रति व मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रति साथ प्रस्तुत है। राजस्व कर्मचारियों एवं भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियो ने बिना किसी विधिक अधिकार एवं बिना जांच पड़ताल किये ही तथा मुझ वादी को बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये ही उक्त भूमि को गलत रूप से बिलानाम दर्ज कर दिया जब कि उक्त साबिक आराजी को वक्त आवंटन ही साबिक नक्शे मे तरमीम कर दिया गया तथा उक्त आराजी पर वर्तमान मे मै वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूं। जिससे ग्राम खेमाणा की नवीन आराजी संख्या 2458 रकबा 1.30 है0 को पुनः

मुझ वादी के नाम खातेदारी हक अधिकार से घोषित करवा राजस्व रेकार्ड मे मुझ वादी के नाम खातेदारी से दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। किसी भी खातेदार या गैर खातेदार के खाते मे अंकित भूमि को बिना उसको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये उसके विरूद्ध रेफरेंस की कार्यवाही कियें और बिना विधीक कार्यवाही किये बिलानाम घोषित नही किया जा सकता है जब कि वादी उक्त आवंटन से इस पर काबिज है तथा वक्त आवंटन से इस पर काबिज है तथा वक्त आवंटन ही राजस्व रेकार्ड मे तरमीम का दी गई थी किन्तु फिर भी तहसील कर्मचारियो ने गलत रिपोर्ट व सूची तैयार करवा प्रतिवादी संख्या 2 के यहां भिजवा दी। गलत रूप से दर्ज की गई बिलानाम भूमि आराजी संख्या 2458 रकबा 1.30 है0 का मुझ वादी की खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण वादी को भूमि बिलानाम दर्ज होने के कारण कभी भी जबरन गलत कार्यवाहिया के आधार पर बेदखल कर सकते हैं और यदि वादी को गलत रूप से बेदखल कर दिया गया तो वादी के भुखे मरने की नोबत आ जावेगी तथा वादी द्वारा उक्त आराजी पर खर्च किये गये लाखो रूपये व श्रम का आर्थिक नूकसान वादी को भूगतना पडेगा। जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री भी जारी फरमाई जाना आवश्यक हो गया है। राज्य सरकार या उनके प्रतिनिधी के विरूद्ध के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उन्हे धारा 80 जा0दी0 के तहत दो माह का नोटिस देना आवश्यक है वह नोटिस भी वादी ने दिनांक : 3.9.2012 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रतिवादीगण को प्रषित कर दिया है जो प्रतिवादीगण को दिनांक : 6.9.2012 को प्राप्त हो गया और उसकी 2 माह की अवधि भी समाप्त हो चूकी है लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा अब तक कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध मे नही की गई है। जिससे वादी को वादपत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 10.07.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित है। जवाब दावा व मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल फाईल की गई। उपरोक्त दावा एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1–आया कि ग्राम खेमाणा की आराजी संख्या 1110/1 रकबा 6 बीघा भूमि वादी को आवंटित होकर उसकी गैर खातेदारी से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हो गई व वादी काबिज हो गया किन्तु दौराने सेटलमेंट वादी की उक्त आराजी नम्बर 2458 रकबा 1.30 हे0 कायम करके उसको बिलानाम कायम कर दिया है जिसको वादी पुनः उसके नाम दर्ज करवाने की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

2–आया वाद ग्रस्त भूमि को दौराने सेटलमेन्ट बिलानाम दर्ज करने का सेटलमेन्ट अधिकारियो को अधिकार था या नही व इसका वाद पत्र पर क्या प्रभाव होगा।

3–आया वादी वाद ग्रस्त भूमि के संबंध मे स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

4–अनुतोष ?

उपरोक्त तनकीयात पर तनकी अनुसार निम्न विनिश्चय है।

तनकी संख्या 1 व 2 एक दुसरे से संबंधित होने से इसका निर्णय एक साथ किया जा रहा है। तनकी संख्या 1 व 2 को सिद्ध करने का भार वादी पर है। इसके संबंध मे वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस वाद पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि ग्राम खेमाणा की साबिक आराजी संख्या 1110/1 रकबा 6 बीघा सवत् 2042 से 2045 की जमाबन्दी मे गैर खातेदारी हक से वादी के नाम दर्ज रेकार्ड थी तथा वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। तथा वादी ने लाखो रूपये व श्रम लगाकर भूमि को आबाद किया है। तथा उक्त भूमि ही वादी के परिवार के जीवन व्यापन का जरिया है तथा वादी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। दौराने सेटलमेन्ट वादी की साबिक आराजी संख्या 1110/1 रकबा 6 बीघा भूमि को वादी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही छुटे हुए खातो की सूची मे शामिल कर वादी की भूमि को बिलानाम करने का आदेश दे दिया गया। वादी की साबिक आराजी के नवीन नम्बर 2458 रकबा 1.30 हे0 होकर उस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। तथा पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा मे भी वादी को भूमि आवंटित होना व उसके नवीन नम्बर 2458 रकबा 1.30 हे0 बनना स्वीकार किया है। तथा इसके संबंध मे वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2042 से 2045 का अवलोकन किया गया जिसमे भी वादी के नाम साबिक आराजी संख्या 1110/1 रकबा 6 बीघा गैर खातेदारी हक से दर्ज होना साबित है। तथा वादी द्वारा सेटलमेन्ट के पश्चात छुटे हुए खातो की नकल पेश की गई जिसमे भी वादी का नाम अंकित है। तथा उक्त छुटे हुए खातो की सूची के आधार पर वादी की भूमि को कब्जा नही होने से बिलानाम करने का आदेश दे दिया गया है। किसी भी राजस्व रेकार्ड मे प्रविष्ठि को बिना किसी सक्षम न्यायालय के परिवर्तित नही किया जा सकता है। इसके संबंध मे वादी के अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2013(1)

हरिनारायण बनाम भागीरथ वगै0 मे पेज संख्या 226 पेश किया गया जिसका ससम्मान अवलोकन किया गया जिसमे मुख्य रूप से माननीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यु राजस्थान अजमेर द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि The settlement authorities are not competent to change the previous entries existed in the revenue record unless the changes occur under the order of a competent authority. वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण मे पुरी तरह लागु होता है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा राजस्व रेकार्ड मे किसी भी प्रविष्टि को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है।

पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने के पश्चात मेरे विनम्र मत मे वादी को साबिक आराजी संख्या 1110/1 रकबा 6 बीघा आवंटित की गई थी। संवत् 2042 से 2045 की जमाबन्दी मे वादी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड थी। परन्तु सेटलमेन्ट के पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के वादी की नवीन आराजी संख्या 2458 रकबा 1.30 हे0 को बिलानाम दर्ज कर दिया जो गलत है। अतः तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 को सिद्ध करने का भार भी वादी पर है। उक्त संबंध मे वादी ने वाद ग्रस्त भूमि पर लम्बे समय से अपना कब्जा होना बताया है वर्तमान मे वादी के नाम पर भूमि दर्ज नही है जबकि धारा 188 मे खातेदार ही स्थाई निषेधाज्ञा की मांग कर सकता है जिससे तनकी संख्या 03 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04 अनुतोष–तनकी संख्या 01 व 02 वादी के पक्ष मे व तनकी संख्या 03 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाने से वादी खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

आदेश

ग्राम खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आंबादी मे स्थित वादी की आराजी संख्या 2458 रकबा 1.30 हे0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

साधुराम जाट
आर.ए.एस. 29/6/17
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा 29/6/17